आखिरी जांच: 5 अक्टूबर 2026 · Department of Social Security and Women and Child Development, Government of Punjab

Concessional Bus Travel Facility to Women above 60 years of age

पंजाब की 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएँ पंजाब रोडवेज और पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में आधे किराए पर सफर करती हैं, इसके लिए ब्लॉक के बाल विकास कार्यालय से पास बनता है।

क्या मिल सकता है

विभाग के पृष्ठ के अनुसार राज्य सरकार की बसों में, यानी पंजाब रोडवेज और पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में, महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलती है।

किसके लिए है

पंजाब में रहने वाली 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएँ।

मुख्य शर्तें

- महिला पंजाब की निवासी होनी चाहिए।
- उसकी उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, जो आयु प्रमाण या डॉक्टर के आयु प्रमाणपत्र से दिखाई जाए।

दस्तावेज़

- आयु प्रमाण, जैसे आधार कार्ड या मैट्रिक प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड
- डॉक्टर द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. अपने गाँव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बस पास का निर्धारित फॉर्म लें।
2. फॉर्म को आयु और निवास प्रमाण के साथ अपने ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) को दें।
3. प्रमाण देखने के बाद CDPO पास जारी करते हैं; बस में दिखाने के लिए उसे साथ रखें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sswcd.punjab.gov.in/en/node/5635
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/punjab/pb-bus-concession-women-60/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।